

## बाल विवाह रोकने हेतु ओडिशा की पहल

### प्रलिस के लिये:

अद्विका, बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) अधियक 2021

### मेन्स के लिये:

भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि, बाल विवाह संबंधी मुद्दे।

## चर्चा में क्यों?

ओडिशा पछिले 4-5 वर्षों से **बाल विवाह** के संबंध में सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन लाने हेतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रहा है।

- ओडिशा ने बाल विवाह की व्यापकता में समग्र गिरावट दर्ज की है; राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के 21.3% से **NFHS-5** में 20.5% तक।

## ओडिशा बाल विवाह की समस्या से कैसे नपिट रहा है?

- राज्य ने बाल विवाह से नपिटने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें **स्कूलों और गाँवों में लड़कियों की अनुपस्थिति पर नज़र रखना, परामर्श देना तथा 10 से 19 आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को एकीकृत करने के लिये "अद्विका" (Advika) नामक मंच का उपयोग करना** शामिल है।
- इसने **गाँवों को बाल-विवाह मुक्त घोषित करने के लिये दशा-नरिदेश तथा विशेष रूप से कमज़ोर आदवासी समूहों हेतु मौद्रिक प्रोत्साहन** भी जारी किये हैं।
  - बाल विवाह को रोकने के दृष्टिकोण अलग-अलग ज़िलों में भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ कशोरियों का डेटाबेस तैयार करते हैं और अन्य सभी विवाहों में **आधार संख्या** को अनिवार्य बनाते हैं।
  - इस समस्या से नपिटने हेतु विभिन्न ज़िलों ने अपने तरीके पेश किये हैं, जैसे कबाल विवाह के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्थानीय उत्सव में **कत्थक प्रदर्शन** को शामिल करना।
- विशेष रूप से **15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियाँ** जो ड्रॉपआउट हैं और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में बने रहने के साथ समुदाय से जुड़े रहने पर ज़ोर दिया जाता है।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के माता-पिता सहित बाल विवाह पर चर्चा** करने हेतु ओडिशा पुलसि भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मासिक सामुदायिक बैठकें आयोजित करती रही है।
  - पुलसि थानों को चाइल्ड फरेंडली बनाया गया है ताकि लड़कियाँ पुलसि के पास जाने के लिये खुद को सशक्त महसूस कर सकें।
- बाल विवाह के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु विभिन्न जाति, जनजाति और धार्मिक समूहों के विभिन्न सामुदायिक नेताओं को शामिल किया गया है।

## भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु के संदर्भ में प्रमुख प्रगतः

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु महिलाओं हेतु 15 वर्ष और पुरुषों के लिये 18 वर्ष थी।
- वर्ष 1978 में सरकार ने इसे बढ़ाकर लड़कियों हेतु 18 और पुरुषों के लिये 21 कर दिया।
- परिवार कानून में सुधार को लेकर वर्ष 2008 में **वर्धि आयोग की रिपोर्ट** में शादी के लिये लड़कों और लड़कियों दोनों हेतु 18 वर्ष की एक समान उम्र की सफ़ारिश की गई।
- वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में महिलाओं हेतु आयु को 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के लिये **बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) अधियक 2021** पेश किया।
  - प्रस्तावित कानून देश में सभी समुदायों पर लागू होगा और एक बार अधिनियमित हो जाने के बाद यह मौजूदा विवाह तथा व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा।

## बाल ववाह से जुडे मुददे:

- बच्चे के जन्म के दौरान स्वास्थय संबन्धी जटलिताएँ: बाल वधू अक्सर बच्चे को जन्म देने एवं उसे सुरक्षति रखने हेतु शारीरिक रूप से पर्याप्त रूप से परपिक्व नहीं होती है, जसिसे माँ और बच्चे दोनों के लयि स्वास्थय संबन्धी जटलिताओं का खतरा बढ जाता है।
- शकिषा बाधति: ववाह अक्सर एक लडकी की शकिषा में बाधक है, जो उसके भवषिय के अवसरों को सीमति कर सकता है और साथ ही नरिधनता के चकर में उलझाए रख सकता है।
- सीमति आर्थकि अवसर: बाल वधुओं के पास अक्सर कॅरियर बनाने अथवा जीवकिोपार्जन के अवसर सीमति होते हैं, जो उन्हें आर्थकि रूप से पतिपर नरिभर बना सकता है और इससे दुर्वयवहार का जोखमि बना रहता है।
- घरेलू हसिा: बाल वधुओं को पतयिों द्वारा घरेलू हसिा का शकिार बनाए जाने की अधकि संभावना होती है, इसका प्रमुख कारण यह है कसामान्यत: कम उमर होने के कारण पतिद्वारा इन्हें अयोग्य एवं हीन आँका जाता है।
- बाल ववाह एक लडकी के मानसकि स्वास्थय को भी काफी प्रभावति करता है, जसि कारण उसे अवसाद, चतिा और आत्म-सम्मान में कमी जैसी स्थतियिों का सामना करना पडता है।

## आगे की राह

- प्रौद्योगकिी का लाभ उठाना: बाल ववाह के नुकसान के संबन्ध में जागरूकता बढाने और बाल ववाह के जोखमि वाली लडकियिों को शकिषा एवं सहायता प्रदान करने के लयि प्रौद्योगकिी का उपयोग कयिा जा सकता है।
  - उदाहरण के लयि वधिकि अधकिारों, स्वास्थय और शकिषा के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मोबाइल एप वकिंसति कयिा जा सकते हैं जो लडकियिों को सहायता नेटवरक से जुडने में सकषम बना सकते हैं।
- धार्मकि और सामुदायकि नेतृत्वकर्त्ताओं को सम्मलिति करना: धार्मकि और सामुदायकि नेता बाल ववाह को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा अदा कर सकते हैं।
  - उन्हें बाल ववाह के खलिाफ बोलने और शकिषा, लैगकि समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढावा देने के लयि अपने प्रभाव का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहति कयिा जा सकता है।
- सफलता की कहानियिों पर ध्यान दें: बाल ववाह के खतरों के बारे में जहाँ जागरूकता बढाना महत्त्वपूर्ण है, वही सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
  - इसका तात्पर्य उन सफल कार्यकरमों और पहलों पर उत्सव मनाने से है जिन्होंने बाल ववाह की घटनाओं को कम करने में मदद की है, साथ ही उन लडकियिों की सकारात्मक कहानियिों को उजागर करना जो शकिषा और सशक्तीकरण के माध्यम से गरीबी एवं भेदभाव के चकर से मुक्त होने में सकषम हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राषट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजयि तथा इसके क्रयिान्वयन की प्रस्थतिपर प्रकाश डालयि। (2016).

## सरोत: द हद्रि